रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-06102022-239353 CG-DL-E-06102022-239353

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 679] No. 679] नई दिल्ली, मंगलवार, अक्तूबर 4, 2022/आश्विन 12, 1944 NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 4, 2022/ASVINA 12, 1944

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(उपभोक्ता मामले विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 अक्तूबर, 2022

सा.का.नि. 763(अ).—केंद्रीय सरकार, विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 (2010 का 1) की धारा 52 की उपधारा (2) के खंड (ग), खंड (च), खंड (ज), खंड (झ) और खंड (ध) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विधिक माप विज्ञान (साधारण) नियम, 2011 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात:-

- 1. (1) इन नियमों को विधिक माप विज्ञान (साधारण) संशोधन नियम, 2022 है।
 - (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- 2. विधिक माप विज्ञान (साधारण) नियम, 2011 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा जाएगा) के नियम 29 में, निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"परन्तु जहां किसी कंपनी के किसी स्थापन या शाखा में विभिन्न स्थापन या शाखाएं या विभिन्न इकाई हैं तो कोई अधिकारी जिसके पास स्थापन या शाखा या विभिन्न इकाइयों के लिए योजना बनाने, निदेश देने और कार्यकलापों को नियंत्रित करने का प्राधिकार और उत्तरदायित्व है, को स्थापन, शाखा या उसकी इकाई के कारोबार के लिए धारा 49 की उपधारा (2) के अधीन भारसाधक और उत्तरदायी नामनिर्दिष्ट किया जा सकेगा"।

6723 GI/2022 (1)

3. उक्त नियमों की, तेहरवी अनुसूची के पैरा 1 में, "निदेशक" शब्द के स्थान पर "(नियम 29 के अधीन नामनिर्दिष्ट अधिकारी का नाम और पदनाम)" कोष्ठक और शब्द रखे जाएंगे।

[फा. सं. आई-09/15/2022 डब्ल्यू एंड एम]

अनुपम मिश्रा, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. 71(अ) तारीख 7 फरवरी, 2011 में प्रकाशित किए गए थे और अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 149(अ) तारीख 03 मार्च 2021 द्वारा अंतिम बार संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(Department of Consumer Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th October, 2022

- **G.S.R. 763(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1), read with clauses (c), (f), (h), (i) and (s) of sub-section (2) of section 52 of the Legal Metrology Act, 2009 (1 of 2010), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Legal Metrology (General) Rules, 2011, namely: -
- 1. (1) These rules may be called the Legal Metrology (General) Amendment Rules, 2022.
 - (2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the Legal Metrology (General) Rules, 2011 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 29, the following proviso shall be inserted, namely:-
- "Provided that where a company has different establishment or branch or different unit in any establishment or branch, an officer who has the authority and responsibility for planning, directing and controlling the activities of the establishment or branch or different unit may be nominated under subsection (2) of section 49 to be in-charge of and be responsible for the conduct of business of the establishment, branch or unit thereof."
- 3. In the said rules, in the THIRTEENTH SCHEDULE, in para 1, for the word "Director", the brackets and words "(name and designation of the officer nominated under rule 29)" shall be substituted.

[F. No. I-9/15/2022-W&M]

ANUPAM MISHRA, Jt. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Subsection (i) *vide* G.S.R. 71 (E), dated the 7th February, 2011 and last amended *vide* notification G.S.R. 149 (E) dated the 3rd March, 2021.